UPSI010081732025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
फौजदारी निगरानी सं0 231/2025
सी.आई.एस. नं.–231 / 2025

प्रशान्त गुप्ता आयु करीब 28 वर्ष पुत्र सुधीर गुप्ता निवासी कस्बा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहॉपुर। प्रार्थी / निगरानीकर्ता।

बनाम

1–उ0प्र0सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) सीतापुर।
2–नीरज शुक्ला पुत्र कृष्णदेव शुक्ला, असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड 3 वाण्ज्यिकर विभाग, थाना कोतवाली नगर जिला सीतापुर, स्थायी पता एकला / मेंहदावल, संतकबीर नगर उ0प्र0। उत्तरदाता / विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस. सम्बंधित फौजदारी वाद संख्या 5464 / 2022 अ0सं0 317 / 2021 अर्न्तगत धारा 120बी,419,420,467,468,471 भा0दं0 सं0 सरकार बबनाम गिरीश आदि थाना कोतवालीनगर जनपद सीतापुर में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सीतापुर, द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 26. 11.2025 के विरूद्व योजित की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी से सम्बंधित **तथ्य** संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता / अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता की ओर से उन्मोचन आवेदन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 239 दं0प्र0सं0 विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात प्रकरण के गुण दोष पर विचार करते हुये अभियुक्त प्रशान्त गुप्ता के विरूद्व प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप अर्न्तगत धारा 120बी, 419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 का गठन किये जाने का आदेश दिनॉकित 26.11.2025 पारित कर उन्मोचन प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त आलोच्य आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी में इस **आधार** पर चुनौती दी गयी है कि निगरानीकर्ता उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नही है। निगरानीकर्ता को सह अभियुक्त गिरीश के बयानो के आधार पर उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र अर्न्तगत धारा 419,420,467,468,471 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया है। उक्त मुकदमें में सह अभियुक्त गिरीश द्वारा राधारानी ट्रेडर्स नाम से जी0एस0टी0आई0एन0नं0 प्राप्त किया गया। फर्म पंजीकृत प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जी0एस0टी0 आई0एन0 द्वारा न आवेदन किया गया न ही परिचालन किया गया है। पुलिस

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.05.14 17:27:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp.

द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार कथित फर्म राजारानी ट्रेडर्स किरायेनामा एंव बिजली बिल के द्वारा पंजीकृत की गयी थी। उक्त किरायेनामा में प्रार्थी अभियुक्त अधोहस्ताक्षरी नही है। उक्त किरायानामा संजय तिवारी एवं सह अभियुक्त के मध्य हस्ताक्षारित किया गया था जिसमें दो लोग गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये है लेकिन विवेचक द्वारा न ही अधोहस्ताक्षरित संजय तिवारी और न ही गवाह के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की गयी है और न ही उनके विरुद्ध कोई विवेचना प्रचलित की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उक्त मुकदमें में सह अभियुक्त गिरीश के बयान से प्रकाश में आया है। प्रार्थी/ अभियुक्त का सह अभियुक्त गिरीश से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही गिरीश द्वारा करायी गयी पंजीकृत फर्म में कोई भूमिका है। कथित फर्म पंजीकरण में किरायानामा अभिलेख में जिस स्टाम्प पर निर्गत किया गया था वह स्टाम्प पेपर श्री संजय तिवारी द्वारा क्रय किया गया था, फिर भी उसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है। पुलिस आख्या के साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा किसी भी फर्म का पंजीकरण नहीं कराया गया है और न ही किरायानामा पर उसके हस्ताक्षर बने हैं। विवेचक द्वारा न तो निगरानीकर्ता के बैंक एकाउण्ट स्टेटमेंट को रिकार्ड में लिया गया और न ही यह जानने का प्रयास किया गया कि इस संदर्भ में निगरानी के खाते में पैसा आया है कि नहीं। निगरानीकर्ता के खाते में करापवंचन का कोई भी पैसा नहीं आया है और न निगरानीकर्ता ने कोई धोखाधड़ी करके पैसा अपने खाते में प्राप्त किया है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई भी तथाकथित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। निगरानीकर्ता द्वारा उपरोक्त आधार पर अवर न्यायालय में प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार न करके मात्र सहअभियुक्त गिरीश के बयानों को आधार बनाकर उपरोक्त मुकदमें में धारा 120बी भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी करते हुए निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2025 को निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने की याचना करते हुये अभियोग से उन्मोचित किये जाने का कथन किया है।

निगरानी की सुनवाई के स्तर पर पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नही आया और न ही पारित आदेश के अनुपालन में पैरवी की गयी है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी का धारा 444 बी0एन0एस0एस0 (धारा 403 दं0प्र0सं0) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये निस्तारण किया जा रहा है। विपक्षी/उत्तरदाता सं01 की ओर से विद्वान डी.जी.सी.क्रिमिनल की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता की ओर से उन्मोचन आवेदन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 239 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनने के पश्चात प्रकरण के गुण दोष पर विचार करते हुये पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध विवेचक द्वारा अर्न्तगत अ0सं0 317/2021, धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला सीतापुर के प्रकरण में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के

साथ मिलकर फर्जी किरायानामा बनाकर जी0एस0टी0 करीब 20.47 लाख रूपये की धोखाधडी किये जाने का आरोप है। साक्षी संजय कुमार तिवारी के बयान में अभियुक्त का नाम आया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने आवेदन में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त को बिना अन्तर्गत धारा 120बी के अपराध में आरोपित किया गया है। अभियुक्त का यह कथन कि उसके कोई हस्ताक्षर फर्जी पंजीकरण में किरायानामे पर नही हैं। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्षियों के बयान से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रशान्त गुप्ता के विरूद्ध कथित आरोप कारित करने में शामिल होना पाया गया है। तदुपरान्त अभियुक्त प्रशांत गुप्ता के विरूद्ध धारा 120बी, 419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप गठन का पर्याप्त आधार पाते हुये उन्मोचन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 239 दं0प्रं0सं0 अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा पत्रावली वास्ते आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश विचारण अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा के उपरान्त पारित किया गया है, जो कि विधिपूर्ण तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के अनुरूप है।

ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं विधिपूर्ण पाया जाता है। उक्त परिस्थितियो में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनॉकित 26.11.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि न होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की प्रति अवर न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जाय। निगरानी न्यायालय की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 14.05.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 14.05.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.

CNR UPSI010081732025